

पत्रावली पेश हुई। वकील ऊमर पक्ष

अभिमत।  
कांसेस का कन्वॉल कांसेस 9 मिनि 13 व  
कांसेस 15/1 CPE पर बहस हुनी गई।

पक्षी मंगलाराम हुआ कांसेस जाति  
अधी मिनामी 210 गेपी बहस कांसेस कांसेस 9 मिनि 13  
व कांसेस 15/1 CPE पेश कर पक्ष विचार दि  
अधी गण हंका। उ प के पक्षी मंगलाराम  
को प्रत्येकी हंका उ के रूप में मंगोपिका  
एवं कन्व अधी गण को प्रत्येकी गण के रूप  
में मंगोपिका का एक डाका हंका 422010  
अधी गण कादि कन्व हंका प्रत्येकी कादि  
पेश दिना। डाका के पक्षी की मिनि 23/2/11  
की गमील मंगुल एवगणा कांसेस के कांसेस  
पारित दिने उम। नत्पश्चात कांसेस कांसेस 9 मिनि 13  
एवं कन्व प्रत्येकी गण मिनाम पक्षी के मिनि  
23/2/2011 को सहरि के आघा पत्रावली दिने  
दिने एवं कांसेस के आघा पत्रावली  
मिनाम पत्रावली के कन्व मिनि 5/7/2012  
को कन्व दिने व मिनि पारित की गई  
की। पक्षी को उम कांसेस की पारिशी नेट  
से पारिशी की गणल पारिशी लड हुई।  
एली गिरी में पक्षी का कांसेस पत्रावली दिना  
पक्ष एवगणा कांसेस मिनि 23/2/2011 एवं  
पारिशी मिनि एवं दिने मिनि 23/2/2011  
वका कन्व मिनि एवं दिने मिनि 5/7/2012  
को उपरत दिना पक्ष पक्षी को पुनर्दिना  
कन्व दिना पत्रावली पारिशी है।

अधी गण हंका 5, 6, 9 से 12 की ओर  
के पक्ष कांसेस कन्व कांसेस 9 मिनि 13  
CPE पेश दिना उम।

एवं कन्व पक्ष की बहस पक्ष दिना  
वका पत्रावली एवं कांसेस कांसेस कांसेस  
9 मिनि 13 CPE पत्रावली कांसेस कांसेस

विभागात्। इतन्नामालय के आदेश निम्न 23/4/20  
के आदेश का उल्लंघन 2010 उक्तानी नारायण का डि  
कनक हकिपका डि डि प्रविद्यालय 3/9/2011  
मंगलाराम पुत्र गोकुलम लाल कहीर मिश्र की राजेश्वरी  
वधुवीर शंकराराम के विरुद्ध शरणा आर्षा ही कल  
में लाल पति का आदेश पारित किया गया। अतः प्रचार  
आदेश निम्न 23/9/2011 के आदेश प्रथम डि डि पति  
विशेष पति का आदेश तथा विभागात् प्रचार के अनुसार  
अतिरिक्त डि डि एवं निर्णय निम्न 5/7/2012 की पारित  
किया गया। प्रचलित प्रचार में पक्षकार ने लोक न्याय  
की मांग कर के प्रारित होना आपस में एक ही परिवार,  
समाज व पति के हित एवं अकेले में अतिरिक्त निर्णय  
पति के कारण शरीरगत का लिंग/शरीरगत  
निम्न 21-6-2017 की पक्षकार ने अपील होना पेश  
किया। पक्षकार की प्रस्ताव एड-डी लालचन्द शर्मा  
एवं न.पं.पं. राम प्रसाद शर्मा की विरुद्ध न्याय  
ने की तथा शरीरगत का हलका किया। शरीरगत  
निम्न 21-6-2017 में यह अतिरिक्त डि डि अतिरिक्त डि डि  
की प्रथा कर शरीरगत एड-डी लालचन्द शर्मा की अतिरिक्त डि डि  
नम्बर 942 व 954 के अतिरिक्त डि डि नम्बर 953  
की पक्षकार की मांग कर डि डि प्रचार का कोई शरणा पूर्व  
डि डि में उपर अनुसार नही रहेगी तथा उक्त शरणा पूर्व  
रूप में शरणा निम्न डि डि में उपर अतिरिक्त डि डि लालचन्द शर्मा  
अतिरिक्त मंगलाराम के एक दिवसे में से ही अतिरिक्त डि डि  
हुई की वह उक्त एक दिवसे में उपर का डि डि पति। इत  
प्रकार पक्षकार आदेश प्रचलित शरीरगत के अनुसार प्रथम  
मंगलाराम आदेश प्रचलित अतिरिक्त पक्ष अतिरिक्त आदेश प्रथम  
13 व धा 151 पर अतिरिक्त एवं प्रथम की एड नु (बीरार डि डि  
पति उचित प्रतीत होता है। अतः शेष निर्णय डि डि प्रथा कर  
शरणा पति नामोचित है। अतः प्रथम का निर्णय 13 व धा 151 पर  
151 पर (बीरार डि डि पति) है। प्रथम में पारित निर्णय व  
डि डि निम्न 5/7/2012 अतिरिक्त रूप से प्रथम आदेश प्रचलित  
में चाहे गई रितीत की एड नु शरणा की पति है व  
शेष निर्णय डि डि प्रथा कर शरणा पति है। प्रथम का  
निर्णय डि डि पक्षकार लालचन्द शरणा मंगलाराम का अतिरिक्त डि डि  
की प्रथा कर शरणा पति लालचन्द शरणा के आदेश निम्न पति है।